बर व त
काम
म की त
में जारी

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

दायर दिनांकः– 15.11.2017

मुकदमा नं. 03/2017

अनवान

1. सीताराम पिता नन्दा बलाई निवासी कांस्या, तहसील बिजौलियां

प्रार्थी......

बनाम

1. राजेन्द्र पिता केसरीमल जैन निवासी कांस्या, तहसील बिजौलियां
2. संजय पिता केसरीमल जैन निवासी कांस्या, तहसील बिजौलियां
3. केला पिता कजोड भील निवासी कांस्या, तहसील बिजौलियां

अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 (बी.) आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय दिनांकः 20-03-2018

उक्त प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से श्री सुनिल जोशी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.11.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी.) आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया । ग्राम कांस्या में स्थित आराजी नं0 738/456 रकबा 2.09 बीघा किस्म बंजड नहरी व आराजी नं0 739/469 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी प्रथम नहरी किता 2 रकबा 4.09 बीघा भूमि मुझ प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी बलाई जाति से होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है। मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी कराने पर जानकारी हुई की मेरी भूमि के आंशिक भाग पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जे से अप्रार्थीगणो को हटाया जाकर बेदखल किया जावें। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की उसमें प्रार्थी अनुसूचित जाति के सदस्य होने एवं खातेदार होने के कारण प्रकरण सख्यां 183 "बी" रा0टि0एक्ट 1955 के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । नोटिस बाद तामील प्राप्ती पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की और से अधिवक्ता श्री ब्रम्हप्रकाश तिवाडी द्वारा अधिकार पत्र पेश किया जो शा.फा. किया गया। अप्रार्थी

तहसीलदार बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके परन्तु न तो जवाब पेश किया गया नही उपस्थित हुऐं।

अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाता हैं। प्रकरण न्यायहित में मेरिट पर निर्णय किया जाने पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रेकार्ड का अध्योपरान्त अवलोकन किया गया । एवं पटवारी हल्का कांस्या से वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवायी गई । वर्तमान मौका अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी नं0 738/456 रकबा 2.09 बीघा किस्म बंजड नहरी व आराजी नं0 739/469 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी प्रथम नहरी किता 2 रकबा 4.09 बीघा भूमि के आंशिक हिस्से आराजी नं0 738/456 रकबा 2.09 बीघा में से 1.00 बीघा भूमि पर राजेन्द्र कुमार, संजय पिता केसरीमल महाजन निवासी कांस्या एवं इसी आराजी में से 0.08 बीघा भूमि पर केला पिता कजोड निवासी कांस्या का कब्जा है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य होने तथा ग्राम कांस्या के आ.नं. 738/456 रकबा 2.09 बीघा किस्म बं न. व आ.नं0 739/469 रकबा 2.00 बीघा किस्म बारानी प्रथम नहरी किता 2 रकबा 4.09 बीघा भूमि **खातेदारी है।** अतएव–

आदेश

प्रार्थी द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **स्वीकार किया जाता** है तथा आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगणों को ग्राम कांस्या की आराजी नं0 738/456 रकबा 2.09 बीघा किस्म बंजड नहरी मे से 1.00 बीघा भूमि पर राजेन्द्र कुमार, संजय पिता केसरीमल महाजन निवासी कांस्या एवं इसी आराजी मे से 0.08 बीघा भूमि पर केला पिता कजोड निवासी कांस्या को बेदखल करने का आदेश दिये जाते है। तथा लगान 1.89 रूपये का 50 गुणा राशि 95/– रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करे तथा पटवारी हल्का को लिखा जावे। भू0अ0नि0 कांस्या को लिखा जावे कि उक्त भूमि से अप्रार्थीगणों को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। पत्रावली बाद दाखिल रजिस्टर के नम्बर कम होकर फैसल शूमार हो।

आदेश आज दिनांक 20.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार बिजौलियां
जिला भीलवाड़ा (राज.)